working in the hospitals and dispensaries run by the New Delhi Municipal Committee.

(b) Yes.

(c) Government would advise the New Delhi Municipal Committee to consider the matter and take suitable steps.]

सतलुज तथा ब्यास नदी के जल के बटवारे के संबंध मै निर्णय

471. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री कल्प नाथ राय :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और पजाब की सरकारों ने सतलुज और ब्यास नदियो के पानी के बटवारे के संबंध मे केन्द्र का निर्णय स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितना कितना अंश आवटित किया गया है ; और

(ग) इस निर्णय के कब तक लागू किये जाने की सभावना है ?

†[**Award for distribution of Sutlej and Beas waters**

471. SHRI PRAKASH VEER SHASTRI:
SHRI KALP NATH RAI:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Governments of Haryana and Punjab have accepted the decision of the Central Government in respect of sharing of water from the Sutlej and the Beas rivers;

(b) if so, what is the share allocated to each State; and

(c) by when the decision is likely to take effect]

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के लिए सतलुज नदी के जल के बटवारे के बारे मे फैसला देने का कोई, अवसर नही आया है । उस जल मे, जो ब्यास परियोजना के परिणामस्वरूप भूतपूर्व पंजाब राज्य को प्राप्त होता हरियाणा और पंजाब राज्यों के हिस्सो का निर्धारण करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के उपबन्धो के अनुसार 24-3-1976 को अधिसूचना संख्या 17/7/73-डी० डब्ल्यू० (एन) जे०आर०सी० खंड II जारी की थी । उक्त अधिसूचना की एक प्रति, जिसमें उक्त जल मे दोनो राज्यो का हिस्सा बताया गया था, कृषि और सिंचाई मंत्रालय के उपमंत्री द्वारा 25 मार्च, 1976 को राज्य-सभा के पटल पर रखी गई थी । किन्तु यहा यह उल्लेखनीय है कि इस बीच पंजाब सरकार ने भारत सरकार को अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन दिया है । दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने अभ्यावेदन दिया है कि पंजाब और हरियाणा के बीच जल के बंटवारे के प्रश्न को फिर से नही खोला जाना चाहिए ।

†[THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c) There has been no occasion for the Central Government to give a decision on sharing of Sutlej Waters. For determining the shares of the States of Haryana and Punjab in the waters which would have become available to the erstwhile State of Punjab as a result of the Beas Project, the Central Government, in terms of the provisions of the Punjab Reorganisation Act, 1966, issued a Notification vide .. No. 17 7 73—DW(N) JRC.

†[ ] English Translation.

Vol. II, dated 24th March, 1976. A copy of the said Notification which gives the shares of waters of the two States was laid by the Deputy Minister of Agriculture and Irrigation on the Table of the Rajya Sabha on 25th March, 1976. It may, however, be mentioned that the Government of Punjab have since represented to the Government of India for increase in its share. The Government of Haryana has on the other hand represented that the issue regarding apportionment of the waters between Punjab and Haryana should not be reopened.]

केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद में हिन्दी विभाग

472. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री कल्प नाथ राय :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद में हिन्दी विभाग आरम्भ करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा मे क्या प्रगति हुई है ;

(ग) क्या प्रस्तावित हिन्दी विभाग अगली जुलाई से आरम्भ होने वाले शिक्षा सत्र के कार्य आरम्भ कर देगा; और

(घ) यदि नही तो उसके क्या कारण हैं ?

†[**Hindi Department in the Central University, Hyderabad**

472 SHRI PRAKASH VEER SHASTRI:
SHRI KALP NATH RAI:

Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to start a Hindi Department in the Central University at Hyderabad;

(b) if so, what progress has been made in that direction;

(c) whether the proposed Hindi Department will start functioning from the academic year beginning from July next; and

(d) if not, what are the reasons therefor?]

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने का हाल ही में निर्णय लिया गया है तथा प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए ब्यौरों को तैयार करने हेतु कुलपति द्वारा एक समिति नियुक्त की गई है । जुलाई, 1977 से इस पाठ्यक्रम को आरम्भ करना सम्भव नही होगा क्योंकि कुलपति द्वारा नियुक्त समिति को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है । रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के बाद ही उसकी जांच की जानी है और उसे लागू किया जाना है ।

†[THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) to (d) According to the information furnished by the University of Hyderabad, a decision has recently been taken by the University to introduce post-graduate Courses in Hindi, and a Committee has been appointed by the Vice-Chancellor to work out the details for the implementation of the proposal. It would not be possible to start this course from July, 1977 because the Committee appointed by the Vice-Chancellor is yet to submit its Report. The Report, when submitted, will have to be examined and implemented.]

Supply of Wheat to Gujarat

473. PROF. RAMLAL PARIKH: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the quantum of wheat supplied to Gujarat from the Central Pool during the last six months; and

†[ ] English translation.